राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

राज्यपाल श्री मिश्र ने विधानसभा द्वारा पारित चार विधेयकों पर प्रदान की अनुमति

राज्यपाल ने किया 'राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022' विधेयक का अनुमोदन

जयपुर, 12 अप्रैल। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने बुधवार को राज्य विधानसभा द्वारा पंद्रहवी राजस्थान विधानसभा के अष्टम सत्र में 21 मार्च 2023 को पारित 'राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022' विधेयक को अनुमति प्रदान कर दी है।

राज्यपाल श्री मिश्र ने इसी प्रकार इसी सत्र में विधानसभा के इसी सत्र में 20 मार्च 2023 को पारित 'राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023', 'बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक 2023' तथा 'राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापन और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक 2023' को भी अनुमति प्रदान कर दी है।

केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित होने के कारण राष्ट्रपति को प्रेषित

'राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023' विचारार्थ राष्ट्रपति को भेजा

जयपुर, 12 अप्रैल। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने बुधवार को राज्य विधानसभा द्वारा पंद्रहवी राजस्थान विधानसभा के अष्टम सत्र में 21 मार्च 2023 को पारित 'राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023' को केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित होने के कारण राष्ट्रपति को विचारार्थ भेजा है।

राज्यपाल श्री मिश्र ने बताया कि चूंकि विधानसभा द्वारा पारित इस विधेयक पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के उपबंध लागू होते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रपति को विचारार्थ प्रेषित किया गया है।